Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

अज अदालत – अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर (राज.)

ललित भाटी बनाम हेमंत भाटी

किस्म मुकदमा – दीवानी वाद सं. नम्बर 304 सन् 2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
03-06-2026	वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी/वादी के द्वारा एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी पूर्व में पेश किया गया था, जिसकी प्रति अप्रार्थी/प्रतिवादी को दिलवाई जाकर जवाब प्राप्त किया गया। उक्त प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई, जिसका निस्तारण निम्न प्रकार से किया जा रहा है। प्रार्थी/वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है, प्रतिवादी गवाह द्वारा फोटोस्टेट दस्तावेज तथाकथित भागीदारी दस्तावेज फोटो स्टेट प्रति को कम्पेयर किये जाने हेतु निवेदन किया है, आदेश 13 नियम 5 सी पी सी के प्रावधानों के अंतर्गत तथाकथित दस्तावेज साझेदारी प्रलेख कम्पेयर योग्य दस्तावेज नहीं है। इसी प्रकार से आदेश 20 नियम 40 सामान्य नियम दीवानी के तहत भी साझेदारी प्रलेख कम्पेयर योग्य दस्तावेज नहीं है। प्रतिवादी के द्वारा साझेदारी प्रलेख जिसे कम्पेयर हेतु मौखिक निवेदन दिनांक 28.04.2026 को किया गया, वह कम्पेयर योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जावें। उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुऐ अप्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा निवेदन किया है कि प्रस्तुत आवेदन तथ्यों एवं विधि दोनों के विपरीत है, प्रार्थी का यह कथन कि दस्तावेज को कम्पेयर नहीं किया जा सकता, गलत है, क्योंकि मूल दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। अप्रार्थी के द्वारा अपने जवाब में यह भी निवेदन किया है कि मूल दस्तावेज को केवल निरीक्षण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना पर्याप्त है, उसे पत्रावली पर पेश करना आवश्यक नहीं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में यह भी दर्शित नहीं करवा सका है कि मूल साझेदारी अभिलेख पर प्रदर्श डाले जाने से इसका क्या पूर्वाग्रह होगा। इसके अतिरिक्त प्रार्थी को पतिवादी के उक्त दस्तावेज पर प्रतिपरीक्षण करने का अधिकार उपलब्ध है, अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है तथा प्रतिवादी/अप्रार्थी को अपनी साक्ष्य हेतु दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जावें। बहस के दौरान प्रार्थी के द्वारा उक्त दस्तावेज साझेदारी विलेख को रिकॉर्ड पर लिये जाने का विरोध किया गया है तथा इसके खण्डन में अप्रार्थी	

Authenticated Document

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –2–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	के द्वारा निवेदन किया है कि उसके द्वारा मूल दस्तावेज की फोटो प्रति पूर्व से ही न्यायालय की पत्रावली पर पेश किये जाने के कारण मूल दस्तावेज की प्रति को कम्पेयर किया जाकर कम्पेयर प्रतियों को रिकॉर्ड पर लिया जा सकता है, अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि अनुरूप नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। अप्रार्थी की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये है। 1– ILR (2009) VI DELHI 233 CS (OS) AKTIEBOLAGET VOLVO & ORS. VERSUS R. VENKATACHALAM & ANR 2– S.B. Civil Writ Petition NO. 3401/2020 Lrs of Peer Seyyad and ors VERSUS Rajasthan Board of Muslim Wakf 3– CRF No. 338 of 2014 Gauhati High Court DD 25.10.2016 प्रार्थी के द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में अपनी बहस के दौरान यह निवेदन किया है कि आदेश 13 नियम 5 सी पी सी. के अंतर्गत वर्णित दस्तावेज सीमित प्रकृति के दस्तावेज है, प्रस्तुत दस्तावेज साझेदारी विलेख उक्त दस्तावेजों की श्रेणी में नहीं आता है, अतः उसे कम्पेयर कर रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता, अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। उभयपक्ष को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया। मेरे द्वारा उक्त संबंध में आदेश 13 नियम 5 सी पी सी. के संबंधित प्रावधानों का अवलोकन किया गया जो निम्न प्रकार से है– बहियों, लेखाओं और अभिलेखों में की गृहीत प्रविष्टियों की प्रतियों पर पृष्ठांकन (1) वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक कि बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 द्वारा अन्यथा उपबंधित है, उस दशा में जिसमें वाद के साक्ष्य में गृहीत दस्तावेज डाक बही या दुकान बही या अन्य लेखा में की जो चालू उपयोग में रहता है, प्रविष्टि है वह पक्षकार, जिसकी ओर से वह बही या लेखा पेश किया गया है, उस प्रविष्टि की प्रति दे सकेगा। (2) जहाँ ऐसी दस्तावेज लोक कार्यालय में से या लोक अधिकारी द्वारा पेश किये गये लोक अभिलेख में की प्रविष्टि है या जिस पक्षकार की ओर से वह बही या लेखा पेश किया गया है, उससे भिन्न व्यक्ति की बही या लेखा में की प्रविष्टि है, वहाँ न्यायालय अपेक्षा कर सकेगा कि उस प्रविष्टि की प्रति–, (क) जहाँ वह अभिलेख, बही या लेखा पक्षकार की ओर से पेश किया गया है, वहाँ उस पक्षकार द्वारा दी जाए, अथवा (ख) जहाँ वह अभिलेख, बही या लेखा ऐसे आदेश के अनुपालन में पेश किया गया है, जो स्वप्रेरणा पर कार्य करते हुए न्यायालय ने दिया है, वहाँ दोनों पक्षकारों या किसी भी पक्षकार द्वारा दी जाए। (3) जहाँ प्रविष्टि की प्रति इस नियम के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन दे दी गई है, वहाँ न्यायालय आदेश 7 के नियम 17 में वर्णित रीति से प्रति की परीक्षा और तुलना एवं प्रति को प्रमाणित कराने के पश्चात् प्रविष्टि को चिन्हित करेगा और उस बही, लेखा या अभिलेख को जिसमें वह है, उसे	

Authenticated Document

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –3–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	पेश करने वाले व्यक्ति को लौटवा देगा। यदि हम आदेश 13 सी पी सी के प्रावधान का अवलोकन करें जो निम्न प्रकार से है– मूल दस्तावेजों का विवाद्यकों के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व पेश किया जाना (1) पक्षकार या उनके प्लीडर मूल सभी दस्तावेजी साक्ष्य जहाँ उसकी प्रतियाँ वादपत्र या लिखित कथन के साथ फाइल की गई हैं, विवाद्यकों के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व पेश करेगा। उक्त प्रावधानों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रकरण के दोनों पक्षकारों को विवाद्यकों के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व अपने समर्थन में सभी दस्तावेज पेश किये जाने आवश्यक है, चाहे वे दस्तावेज मूल अथवा फोटो प्रतियों के रूप में हों। प्रस्तुत प्रकरण में यदि हम प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करें तो उसके द्वारा मूल दस्तावेज की फोटो प्रति पूर्व से पेश की जा चुकी है तथा साक्ष्य के स्तर पर केवल मात्र फोटो प्रति को कम्पेयर कराना चाहता है, जिसके आक्षेप के संबंध में यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी के द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। यदि हम आदेश 13 सी पी सी. की मूल भावना का अवलोकन करें तो आदेश 13 किसी भी दावे के पक्षकार को सभी दस्तावेजों को पेश किये जाने हेतु निर्देशित इस आशय से करती है ताकि पक्षकारों के द्वारा अपनी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी विपरीत पक्ष को हो सकें, जिससे कि साक्ष्य के समय पक्षकारों के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जाऐगा, जिसकी उसे पूर्व से ही जानकारी नहीं हों। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त दस्तावेज पूर्व से ही पेश किया जा चुका है, जिसकी जानकारी प्रार्थी को बखूबी है, जो स्वयं प्रार्थी के द्वारा अपनी बहस के दौरान किये गये तथ्यों से प्रकट होता है। उक्त आदेश 13 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि नियम 5 से दर्शित होता है कि बहियों, लेखाओं, प्रलेखों में ग्रहित प्रविष्ठियों जो कि नियमित रूप से काम में आ रही है, ऐसे दस्तावेजों के संबंध में यह नियम प्रावधानित करता है कि चूंकि उक्त दस्तावेजात नियमित रूप से काम में आ रहें है, उनसे प्रमाणित प्रतिलिपि कम्पेयर की जाकर मूल दस्तावेजात लौटाऐ जाऐ, जो कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात के उपर लागू नहीं होता है, अतः इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात के संबंध में लागू नहीं होने के कारण प्रार्थना विधिसम्मत नहीं होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि सम्मत नहीं होने से स्वीकार किये जाने का कोई कारण मेरे समक्ष नहीं है। फलतः प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र दो हजार रूपये कोस्ट पर खारिज किया जाता है, कोस्ट की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर में जमा कराकर रसीद न्यायालय में पेश करें। पत्रावली के अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि उक्त	

Authenticated Document

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –4–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	पत्रावली काफी समय से लंबित चली आ रही है, पक्षकारान् को हिदायत दी जातीहै कि प्रकरण के शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण कराये जाने में न्यायालय का सहयोग करें तथा आइंदा तारीख पेशी पर प्रतिवादी अपने साक्षी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखें। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिनांक..... को पेश हों। अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर। SHAILENDRA KRISHANA PAREEK Digitally signed by SHAILENDRA KRISHANA PAREEK Date: 2026.06.05 08:01:36 +0530	

Authenticated Document

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –5–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के जरिये प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 व आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 141 व 151 सीपीसी दिनांकित 21.3.18 का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी के द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र यह जाहिर किया कि वादीगण द्वारा वाद–पत्र की मद सं. 1 में वर्णित संपत्ति के मालिक मूलचन्द व लदाराम थे, मूलचन्द के देहान्त के बाद उक्त संपत्ति के आधे हिस्से के मालिक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 एवं हरीश कर्मचन्दानी एवं प्रतिवादी संख्या 6 श्रीमती जानकी देवी है, तथा हरीश कर्मचन्दानी का देहान्त हो गया, जिनकी पत्नी व दो पुत्रियां है, हरीश, वादी सं. 1 का मामा है एवं प्रतिवादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 6 का सगा भाई होने से उस पर विश्वास कर मुख्तयारनामा दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 गोद जाने के बाद से चचेरा भाई हो गया। हरीश एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने यह वचन दिया था कि वे वादीगण, प्रतिवादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 6 की सहमति से ही संपत्ति में जो आधा हिस्सा है, उस आधे हिस्से को हस्तान्तरित करेंगे और प्रतिफल राशि के बराबर हिस्से रखेंगे, परन्तु प्रतिवादी सं. 1 और हरिश ने मिलीभगत करके बिना वादीगण से पूछे बिना सहमति के वादग्रस्त संपत्ति के आधे भाग का विक्रय कर दिया जो विक्रय पत्र दिनांक 27.02.2013 वादी के विरूद्ध शून्य है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 नगर निगम, अजमेर से मिलीभगत करके संपत्ति को स्वयं के नाम हस्तान्तरित करवाऐ जाने पर आमादा है, जब कि वादग्रस्त संपत्ति का दावा विक्रय पत्र को शून्य घोषित करवाये जाने का न्यायालय में लंबित है। अतः नगर निगम, अजमेर मामले में आवश्यक पक्षकार है और नगर निगम, अजमेर को आवश्यक पक्षकार बनाते हुऐ वादीगण प्रार्थना–पत्र में वर्णित संशोधन किया जाना भी आवश्यक होंगा। नगर निगम, अजमेर को पक्षकार बनाकर स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में वादीगण द्वारा अनुतोष चाहा जाना लाजिमी है, अतः वांछित संशोधन वाद–पत्र में किया जाना भी आवश्यक होंगा। अपने पक्ष के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये। 01– 2002 (2) सी सी सी. (राजस्थान) 125, 02– 2014 (1) सी सी सी. 96, 03– 2019 (1) सी सी सी. 552, 04– 2012 (1) सी सी सी. (एस.सी) 731, विपरीत पक्ष द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुऐ जवाब में	

Authenticated Document

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –6–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	यह जाहिर किया है कि वादीगण जानबूझकर हस्तान्तरण शब्द का गलत प्रयोग कर रहा है। विक्रय पत्र के आधार पर गृहकर हेतु नामान्तरण कराया जाना प्रतिवादी का विधिक कर्तव्य है, जिससे नियमानुसार हाऊस टेक्स जमा हो सकें। नगर निगम, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अर्न्तगत अपना कार्य करती है। गृहकर हेतु उचित कार्यवाही का अधिकार नगर निगम को है, यह स्थापित विधि है। प्रतिवादी के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र किसी भी आधार पर अवैध व शून्य नहीं है। प्रतिवादी/उत्तरदाता को विधि अनुसार अपने हक में संपत्ति का नामान्तरणकरण निगर निगम, अजमेर से अपने नाम कराये जाने का विधिक अधिकार है। वादी/प्रार्थी द्वारा वाद–पत्र में जिस प्रकार का संशोधन चाहा गया है वह भी अविधिक है। नगर निगम से चाहा गया अनुतोष प्रमाणिक संशोधन नहीं है एवं नगर निगम किसी भी प्रकार से मामले में आवश्यक पक्षकार नहीं है, ना ही नगर निगम के विरूद्ध कोई वादकारण ही उत्पन्न होता है। नगर निगम को बिना विधिक प्रक्रिया व सूचना पत्र के दिये वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। अप्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया है। 2024 (4) सी.जे. (सिविल) राजस्थान 2190 उभयपक्ष को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त न्याय निर्णयन का ससम्मान अध्ययन किया, उक्त न्याय निर्णयन में प्रतिपादित सिद्धांतों का आदेश में यथास्थान ध्यान रखा जाऐगा। प्रकरण में वादीगण द्वारा वाद विक्रय पत्र दिनांक 27.02.2013 को अवैध व शून्य घोषित कराये जाने के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। मूल रूप से अप्रार्थी/ प्रतिवादी का यह विरोध है कि नगर निगम मामले में किसी प्रकार से आवश्यक पक्षकार नहीं हो सकती, क्योंकि वाद विक्रय पत्र को निरस्त किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, मात्र विक्रय पत्र के पक्षकार ही मामले में आवश्यक पक्षकार माने जा सकते है तथा नगर निगम को कोई विधिक नोटिस भी दो माह पूर्व नहीं दिया गया है। उक्त आपत्तियों के मध्ये नजर पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह प्रकट होता है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा नगर निगम, अजमेर में वादग्रस्त विक्रय पत्र के आधार पर स्वयं के पक्ष में नामान्तरण कराये जाने हेतु चाराजोही की गई है। जिनमें से नगर निगम में की गई कार्यवाहियों की आदेशिकाऐ पत्रावली पर पेश की गई है। यह सही है कि नगर निगम विवादित विक्रय पत्र का पक्षकार नहीं है, परन्तु विवादित संपत्ति के संबंध में नगर निगम में विक्रय पत्र के किसी भी पक्ष द्वारा कार्यवाही किया जाना सम्भव है। दावा निर्णित होने तक वादग्रस्त संपत्ति को संरक्षित रखा जाना आवश्यक है, नगर निगम मामले में आवश्यक पक्षकार नहीं भी हो तो भी वर्णित परिस्थितियों के मध्येनजर नगर निगम को प्रोपर पक्षकार माना जा सकता है। विधिक प्रावधानों के मध्येनजर उचित पक्षकार भी आवश्यक पक्षकार है, जिसकी उपस्थिति वाद में आवश्यक तो नहीं है, परन्तु मामले के उचित न्याय निर्णयन के लिये वांछित है। वाद अभी आरम्भिक स्तर पर है, उक्त पक्षकार को जोड़े जाने से विपरीत पक्ष को किसी	

Authenticated Document

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –7–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	प्रकार की हानि होना प्रकट नहीं होता है। जहाँ तक विधिक नोटिस का प्रश्न है तो वादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष नगर निगम से चाहा गया है, जिसके तहत विधिक नोटिस दिये जाने से विधिक प्रावधानों के मध्येनजर छूट प्रदान की जा सकती है। अतः उक्त तथ्य परिस्थितियों एवं उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते पेश किये जाने संशोधित टाईटल व संशोधित वाद–पत्र हेतु दि. ..... को पेश हों। अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर।	

Authenticated Document

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –8–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

Authenticated Document